



लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व)  
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/92/2020 (सू.अ.)  
पंजीयन दिनांक:- 25.09.2020

श्री शान्तिलाल पिता चतरभुजदास वैष्णव निवासी नरपत की खेडी, जिला चित्तौड़गढ़  
बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005


निर्णय


दिनांक 20.10.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 17.07.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 92/2020/(20.10)/637 दिनांक 25.09.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 20.10.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 20.10.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.2020 प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि उसे आदिनांक तक भी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने उसके आवेदन दिनांक 17.07.2020 से वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। अतः वांछित सूचना निः शुल्क दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावे।



  
लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 92/2020 (सू.अ.)  
श्री शांतिलाल वैष्णव निवासी नरपत की खेडी बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन),  
चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत नहीं किए।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 17.07.2020 से 4 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गईं, परन्तु लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ की टिप्पणी प्राप्त नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि उनके स्तर पर इस आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।



(के. क. शर्मा)

आई.एस.एस.  
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./92/2020(सू.अ.)/689

दिनांक:- 20 / 10 / 2020

प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री शांतिलाल पिता चतरभुजदास वैष्णव निवासी नरपत की खेडी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़



लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)